

## DEOGHAR MUNICIPAL CORPORATION

स्व-निर्धारित नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित किये गये सम्पत्ती कर की सूचना।

Memo No. : 572248141020040948


Date : 14-10-2020

प्रभावी : 2 2020-2021

श्री/श्रीमती/सुश्री POONAM SAH W/O RAJENDRA PRASAD SAH,  
मोहल्ला CASTER TOWN NEAR BAIDYANATH DHAM STATION DEOGHAR , 7979005054  
DEOGHAR , 814112

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नया गृह सं० - 0320001684000A1 वार्ड सं० 32 हुआ है, आपके स्व० निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 8316/- रु० निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

क्रम सं०	Particulars	Amount (In Rs.)
1	गृह कर	42.00
2	जल कर	0.00
3	शौचालय कर	0.00
4	दिमली कर	0.00
5	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	0.00
कुल राशि (प्रति तिमाही)		42.00



नोट-

- कर निर्धारण की सूची, DEOGHAR MUNICIPAL CORPORATION Website, [suda.jharkhand.gov.in](http://suda.jharkhand.gov.in) पर उपलब्ध है।
- नियमावली कंडिशन 11.4 के अन्तर्गत में वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जाएगा जो सम्पत्ति कर का 50% होगा।
- दिवांगत हो जाती है कि, वर्षा जल संरक्षण संरक्षण लगा कर विद्यमान को सूचित करे तथा अतिरिक्त गृह कर से राहत पाये।
- प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सम्पत्ति कर का भुगतान त्रैमासिक देय होगा।
- यदि किसी वर्ष के लिए सम्पूर्ण पूंजी कर का भुगतान वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो करदाता को 5% की रिबाउंट दी जाएगी।
- किसी एक प्रति को निर्दिष्ट समाप्तवधि (प्रत्येक तिमाही) के अन्तर्गत उसके पूर्व नहीं चुकाया जाता है, तो 1% प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज देय होगा।
- यदि कर निर्धारण आपके स्व-निर्धारण एवं वीआई घोषणा के आधार पर की जा रही है, इस स्व-निर्धारण-सह-घोषणा पत्र की स्वतंत्रता जल तथा समय नियम बना सकती है एवं तथा गलत पाए जाने पर नियमावली कंडिशन 13.2 के अनुसार निर्धारित शक्ति (Fine) एवं और शक्ति देय होगा।
- DEOGHAR MUNICIPAL CORPORATION द्वारा संग्रहित इस सम्पत्ति कर इन इनमर्त/बांघों को कोई कानूनी हेमियत प्रदान नहीं करता है और/या न ही अपने अधिकारों/क्यालों को कोई कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
- अगर आपके नये होल्डिंग नम्बर का आधिकारिक अंक 5/6/7/8 है तो यह निर्दिष्ट संरचनाओं की श्रेणी के अन्तर्गत माना जाएगा।

NOTE : This is a Computer generated receipt. This receipt does not require physical signature.

Print

15/10/20  
OFFICE IN-CHARGE  
TOWN OF JHARKHAND  
NO. 22048